बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि०
डेयरी डेवलॉपमेंट कॉम्पलेक्स, पो०–बिहार भेटनरी कॉलेज,
पटना–800014 (बिहार)
दूरभाषः 2224083, 2228953, 2228347, 2220387, Fax: 0612-2224017
ई–मेल : comfed.patna@gmail.com Web: www.sudha.coop

पत्रांकः–कॉम्फेडःविपणनः395 दिनांकः–09.02.2023

निविदा सूचना

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर सुधा होल–डे मिल्क पार्लरों (डब्ल्यू.डी.एम.बी) के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रण।

बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि० (कॉम्फेड), पटना जो सुधा ब्राण्ड का स्वामित्वधारक है, राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार राज्य के पूर्णिया, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सिवान एवं पटना जिले के विभिन्न प्रखण्डों के इच्छुक निविदादाता जो बिहार राज्य के उल्लेखित जिले के संबंधित प्रखण्ड के स्थाई निवासी हों एवं पात्रता पूरी करते हों, से सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा आमंत्रित करती है।

निविदादाता निविदा पपत्र एवं फार्म, निविदा के नियम व शर्तें कॉम्फेड के वेवसाईट www.sudha.coop पर दिये गये लिंक पर उपलब्ध रहेगा जिसे ऑनलाईन माध्यम से संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क को संलग्नित करते हुए भरा जायेगा।

बेबसाइट पर निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता :– दिनांक–13.02.2023 से 14.03.2023।

निविदा फार्म भरकर जमा करने की अंतिम तिथिः– 14.03.2023 के अपराह्न 5.00 बजे तक।

अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये कोई भी निविदा या सभी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक

राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये स्थलों पर आधारित सुधा होल–डे मिल्क पार्लर(डब्ल्यू.डी.एम.बी) के आवंटन एवं संचालन प्रक्रिया हेतु नियम व शर्तें।

1.0 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन का उद्देश्य एवं प्रक्रियाः–

1.1 सात निश्चय पार्ट–2 कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0, पटना (कॉम्फेड) के द्वारा बिहार राज्य के सभी प्रखंडों को आच्छादित करते हुए कुल 600 सुधा होल–डे–मिल्क पार्लर का निर्माण चार वित्तीय वर्षों 2021–22 से लेकर 2024–25 तक किया जायेगा। प्रत्येक दुग्ध पार्लरों के आधारभूत संरचना के विकास यथा प्रि–फैब्रिकेटेड मिल्क बुथ, डीपफ्रिजर, पुश कार्ट एवं विद्युत फिटिंग व साज–सज्जा हेतु कॉम्फेड के द्वारा रू0 5,00,000/– (पाँच लाख) वहन किया जायेगा।

1.2 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर बिहार राज्य के बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। बिहार सरकार द्वारा योजना की मंजुरी से सुधा उत्पादों के विपणन के साथ–साथ बिहार के लोगों को स्वराजगाार प्रदान करने में मदद मिलेगी।

1.3 सुधा मिल्क पार्लर का आवंटन कॉम्फेड द्वारा केन्द्रीकृत रूप से किया जायेगा।

1.4 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन की सूचना के व्यापक प्रसार हेतु कॉम्फेड द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से खुला विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

1.5 आवंटी/संचालक संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आवंटी/संचालक संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के कर्मचारी या प्रतिनिधि के तौर पर भी स्वयं को स्थापित नहीं करेंगे तथा इस सबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

1.6 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन एवं संचालन की अवधि प्रथम बार में तीन वर्ष होगी, जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री आँकड़ों के आधार पर आवंटन तीन वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है। आवंटन की तिथि एकरारनामा संपादित होने की तिथि से मान्य होगी।

1.7 आवंटी/संचालक को कॉम्फेड के संबंधित संघ/इकाई के साथ रू 1000/– के नन् ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा संपादित करना होगा। अनुबंध का प्रारूप संबंधित संघ/इकाई द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

1.8 प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक जाँच कॉम्फेड, पटना द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी।

1.9 आवेदनों का प्रारूप का निर्धारण जिसमें आवेदनकर्ताओं के लिए नियम, शर्त होगा तथा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी का कार्य, निविदा की प्रक्रिया इत्यादि पूरा करने का कार्य कॉम्फेड के स्तर से की जायेगी। स्क्रूटनी किये गये आवेदनों को प्रबन्ध निदेशक, कॉम्फेड के द्वारा गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा जिसके अध्यक्ष महाप्रबंधक, कॉम्फेड, पटना होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में बिहार सरकार के गव्य निदेशालय के नामित प्रतिनिधि भी शामिल किये जा सकते हैं। गठित उच्च स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आलोक में अन्तिम निर्णय लेने हेतु प्रबन्ध निदेशक, कॉम्फेड, पटना अधिकृत होंगे।

2.0 चयन प्रक्रिया एवं निविदा आमंत्रणः–

2..1 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु खुली निविदा की सूचना, कॉम्फेड के वेबसाईट www.sudha.coop तथा प्रमुख समाचार पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

2.2 सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु आवेदन पत्र Online माध्यम से भरा जायेगा। आवेदन भरने संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तें कॉम्फेड की वेबसाइट www.sudha.coop दिये गये लिंक पर उपलब्ध रहेगा।

2.3 निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों की जाँच कॉम्फेड मु0 के नामित समिति द्वारा की जायेगी।

2.4 यदि किसी प्रखण्ड से केवल एक आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसी परिस्थिति में आवेदित उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत योग्य पाये जाने पर सुधा मिल्क पार्लर का आवंटन किया जायेगा।

2.5 यदि किसी प्रखण्ड में सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदक सफल पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में, आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा मिल्क पार्लर का आवंटन किया जायेगा।

2.6 चयनित उम्मीदवार को निविदा प्रक्रिया में दिए गए दस्तावेजों को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज कॉम्फेड के नामित पदाधिकारी या समिति को दिखाना होगा।

2.7 आवेदनों की जाँच के उपरांत पात्र उम्मीदवारों के बीच लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सुधा मिल्क पार्लर का आवंटन होगा।

2.8 दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध की आगे की प्रक्रिया, सुरक्षा राशि जमा करना और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के लिए संबंधित दुग्ध संघों/विपणन डेयरियों को एक प्रति के साथ आवंटन आदेश जारी किया जायेगा।

2.9 यदि किसी आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत आवेदक की पात्रता रद्द हो जाती है, तब शेष बचे पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी की प्रक्रिया की जायेगी।

2.10 कॉम्फेड एवं संबंधित संघ/इकाई द्वारा अनुबंध के तहत अन्तिम रूप से चयनित आवेदकों को प्रथम बार में तीन वर्ष हेतु सुधा मिल्क पार्लरों का संचालन हेतु कार्य आवंटित किया जायेगा जिसे सफलतापूर्वक संचालन एवं बिक्री आँकड़ा के आधार पर आवंटन तोन वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है।

2.11 आवंटन आदेश जारी होने एवं समझौते के निष्पादन के उपरांत भी यदि पात्रता मानदंड के संबंध में प्रस्तुत दावों/कागजातों के विपरित कोई विसंगतियाँ पाई जाती हैं तो इस स्थिति में आवंटन को रद्द करते हुए सुरक्षा राशि को जब्त कर ली जायेगी।

3.0 <u>पात्रता मापदंडः</u>—

3.1 शैक्षणिक योग्यता :— न्यूनतम 10वीं पास (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.2 आवेदक संबंधित प्रखंड का स्थायी निवासी हो जिसके लिए (सुधा मिल्क पार्लर) आवेदन किया जा रहा है। आवेदक को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी/सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.3 उम्रः– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्र न्यूनतम–21 वर्ष एवं अधिकतम–60 वर्ष।

3.4 आधार कार्ड संख्या :–
(पहचान के प्रमाण की छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.5 स्व घोषणा प्रमाण पत्र (आवेदक द्वारा 100 रूपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर स्वधोषित प्रमाण पत्र मूल प्रति में संलग्न करना होगा जिसमें आवेदक के द्वारा घोषित किया जायेगा कि उनके या उनके परिवार का कोई भी सदस्य सुधा मिल्क पार्लर का आवंटी नहीं है एवं वे या उनके परिवार का कोई सदस्य बिहार मिल्क को–ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लि0, पटना या कॉम्फेड से संबद्ध दुग्ध संघ/इकाई में कार्यरत नही हैं)।

3.6 आवेदक को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी/सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। (प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्नित करें)।

3.7 रजिस्ट्रेशन शुल्क :– गैर–वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार जमा किया जायेगाः–

सामान्य और पिछड़ा वर्ग श्रेणी	: रू 1000/–
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग श्रेणी	: रू 500/–

3.8 आवेदनकर्ता निर्धारित पंजीकरण शुल्क राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन, लि0 के नाम पर निर्गत एवं भुगतेय पटना हो, संलग्नित करेंगे।

3.9 वित्तीय योग्यता :– (व्यवसाय हेतु आवेदक के पास न्यूनतम राशि रू0 1,00,000/– होनी चाहिए जो आवेदक के पास जमा हो, यथा– फिक्सड डिपोजिट, आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक के स्वयं के खाते में रू0 1,00,000/– की राशि जमा रहने का प्रमाण या संबंधित बैंक द्वारा आवेदक के नाम से निर्गत बैंकर्स सर्टिफिकेट के रूप में दर्शित हो, की छाया प्रति संलग्नित करें।)

3.10 आवेदक को किसी प्रकार का संक्रमण/स्पर्शजन्य रोग न हो इसके लिए किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।

3.11 सफल उम्मीदवार को आवंटन आदेश जारी होने के उपरांत, कार्य प्रारंभ करने से पहले सुरक्षा राशि रू 1,00,000/– (एक लाख) (वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। जमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

3.12 चयन के उपरांत सफल उम्मीदवार को एक माह के भीतर पैन कार्ड एवं FSSAI प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराना होगा।

3.13 पात्रता मानदंड के तहत् बिन्दु सं0 3.1 से 3.10 तक अनिवार्य सभी पात्रता मानदंड शर्तों को पुरा करना होगा, असफल उम्मीदवारों का आवेदन रद्द कर दिया जायेगा तथा सुधा मिल्क पार्लर के आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

4.0 <u>सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालन हेतु Standard Operating Procedure (S.O.P)</u>

4.1 बिक्री हेतु सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के संचालन का समय सुबह 6:00 AM से रात्रि 9:00 PM तक निर्धारित रहेगा।

4.2 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर संचालक को मार्ग प्रभारी द्वारा निर्धारित किये गये समय के अनुसार दूध/दुग्ध उत्पाद प्राप्त करना होगा।

4.3 प्रत्येक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर कॉम्फेड के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा, जिसका प्रबंधन संघ/इकाई से संबंधित विपणन क्षेत्रों के अन्तर्गत किया जायेगा। सुधा होल–डे मिल्क पार्लर को उपलब्ध कराये गये सारे सम्पतियों का अधिकार कॉम्फेड, पटना का होगा।

4.4 सुधा होल–डे मिल्क पार्लर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने एवं सुधा ब्रांड की पहूँच बढ़ाने हेतु प्रत्येक सुधा मिल्क पार्लर का बिक्री लक्ष्य बाजार क्षमता को ध्यान रखते हुए संबंधित संघ/कॉम्फेड इकाई द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

4.5 आवंटी/संचालक को सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पादों की अधिकतम रेंज रखनी होगी। किसी अन्य उत्पाद या ब्रांड के उत्पादों को तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक की उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति नहीं दी जाती है।

4.6 आवंटी/संचालक सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र के लिए केवल संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई/पी.एम.सी. की इकाई द्वारा संबंधित क्षेत्र हेतु नियुक्त वितरक के माध्यम से दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे। आपके द्वारा किसी अन्य वितरक से सुधा उत्पाद का क्रय नहीं किया जायेगा।

4.7 आवंटी/संचालक द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का भुगतान संबंधित वितरक को अग्रिम रूप में किया जायेगा।

4.8 आवंटी/संचालक को कॉम्फेड द्वारा प्रदान की गयी निर्धारित दर अथवा अधिकतम खुदरा मुल्य (M.R.P) पर दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करना होगा तथा सुधा होल–डे मिल्क पार्लर के सामने एम.आर.पी. की सूची प्रदर्शित करनी होगी।

4.9 चयनित संवेदक/संचालक द्वारा पार्लर परिसर के पास साफ–सफाई एवं कचरा पेटी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

4.10 इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों की समय–समय पर सर्विसिंग/रख रखाव संवेदक/संचालक द्वारा किया जायेगा तथा इससे संबंधित किसी भी प्रकार का खर्च आवंटी/संचालक को वहन करना होगा।

4.11 चयनित आवंटी/संचालक द्वारा पार्लर परिसर के समीप अस्थायी स्टॉल का निर्माण कर किसी अन्य व्यवसाय की अनुमति नहीं है।

4.12 विशेष अवसरों हेतु, संवेदक/संचालक को अपने संबंधित वितरकों को अधिक माँग के लिए अग्रिम रूप से सूचित करना होगा।

4.13 पार्लर किसी भी दिन बन्द नहीं होनी चाहिए। यद्यपि परिस्थितियाँ असामान्य होने पर आवंटी/संचालक द्वारा संबंधित प्राधिकारी को पूर्व मे सूचना प्रदान की जायेगी।

4.14 दूध और दुग्ध उत्पादों की डिलीवरी लेते समय संवेदक/संचालक द्वारा प्राप्त वस्तुओं की गुणवता और मात्रा की जाच अवश्य करनी होगी। बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.15 चयनित संवेदक/संचालक ग्राहकों को दूध एवं दुग्ध उत्पाद पहूँचाने के लिए होम डिलीवरी व्यक्ति व पुश कार्ट व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति का वेतन संवेदक/संचालक को ही प्रदान करना होगा।

4.16 संवेदक/संचालक सुधा मिल्क पार्लर के बेहतर संचालन हेतु अधिकतम दो सेल्स मैन को नियुक्त कर सकती है जिनका चिकित्सा प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) निर्गत हो। सेल्स मैन का वेतन संवेदक/संचालक को ही प्रदान करना होगा।

4.17 संवेदक/संचालक को उन वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन सुनिश्चित करना होगा जिन्हें कम और विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। संवेदक/संचालक को सभी उत्पादों की अधिकतम बिक्री करने का प्रयास करना होगा।

4.18 संबंधित क्षेत्र वितरक के द्वारा यदि संवेदक/संचालक को किसी भी प्रकार की विसंगतिपूर्ण, त्रुटिपूर्ण दर पर सुधा दूध एवं दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं या संबंधित क्षेत्र संचालक के संबंध में कोई शिकायत हो तो ऐसे मामलों को संवेदक/संचालक द्वारा संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के संबंधित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उठाया जायेगा।

5.0 **<u>रखरखाव एवं अन्य शुल्कों का भुगतान</u>**:–

5.1 संवेदक/संचालक को Letter of Award (LOA) के निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर FSSAI License प्राप्त कर उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति रिकार्ड हेतु संबंधित संघ/इकाई को इसकी छाया प्रति जमा करना होगा।

5.2 संवेदक/संचालक को मासिक रखरखाव शुल्क के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 500/–रू एवं शहरी क्षेत्र के लिए 1500/–रू संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई को देना होगा। अन्य किराया यदि भूमि के लिए लागू हो उसे संवेदक/संचालक को वहन करना होगा।

5.3 संवेदक/संचालक बिजली बिल, मासिक रख–रखाव शुल्क, पानी शुल्क तथा अन्य वैद्यानिक खर्च प्रत्येक माह समय पर जमा करना होगा एवं बिल की छाया प्रति संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

5.4 संवेदक/संचालक को पार्लर के अन्दर उपलब्ध सम्पति के साथ पार्लर भवन का बीमा कराना चाहिए तथा बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम समय पर जमा करना होगा। बीमा रसीद का प्रमाण संबंधित संघ/कॉम्फेड की इकाई को रिकार्ड हेतु प्रस्तुत करना होगा।

5.5 पार्लर संवेदक/संचालक द्वारा अधिकतम डिजिटल भुगतान के माध्यम से उत्पादों की खरीद/बिक्री की जानी चाहिए।

6.0 सुधा मिल्क पार्लर का समापनः–

6.1 अनुबंध प्रारंभ में तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु किया जायेगा। प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो समझौता निरस्त कर दिया जायेगा एवं पार्लर दूसरे पक्ष को आवंटित कर दिया जायेगा।

6.2 कॉम्फेड/इकाई/संघ आपके साथ हुए समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि कॉम्फेड/इकाई/संघ को ज्ञात होता है कि आपके द्वारा कॉम्फेड/इकाई/संघ, सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों के हित के विरूद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे कॉम्फेड/इकाई/संघ या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही है।

6.3 यदि चयनित संवेदक/संचालक के द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जाता है या जुर्माना अथवा चेतावनी पत्र देने के बाद भी यदि कार्य में सुधार नहीं पाया जाता है तो निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित राशि को जब्त करते हुए अनुबंध समाप्त किया जा सकता हैः–

(क) बिक्री प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने पर ।

(ख) यदि संवेदक/संचालक द्वारा कॉम्फेड से सूचीबद्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की बिक्री करते हुए पाया जाता है।

(ग) यदि संवेदक/संचालक द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है।

(घ) यदि संवेदक/संचालक द्वारा पार्लर को उप–पट्टे पर देते हुए पाया जाता है।

(ङ.) यदि संवेदक/संचालक द्वारा सुधा उत्पादों को निर्धारित दर (M.R.P) से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पायी जाती है।

(च) यदि संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा आवंटित सुधा मिल्क पार्लर संवेदक/संचालक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद पाया जाता है।

6.4 संघ/इकाई/कॉम्फेड प्रबंधन पार्लर संचालक को नोटिस अवधि दिये बिना समझौते को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि संघ/इकाई का ज्ञात होता है कि संवेदक/संचालक के द्वारा संघ/इकाई/कॉम्फेड, सुधा ब्राण्ड या ग्राहकों के हित के विरूद्ध कार्य कर रहा हो, जिससे संघ/इकाई/कॉम्फेड या सुधा ब्राण्ड की छवि खराब हो रही हो।

6.5 संवेदक/संचालक द्वारा पार्लर को सरेंडर करने की स्थिति में संवेदक/संचालक को संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड को तीन महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।

6.6 पुनः आवंटन खुली निविदा के माध्यम से आवेदकों के चयन की पूर्व के प्रक्रिया के तहत् की जायेगी।

6.7 अनुबंध की समाप्ति के बाद, यदि पार्लर संचालक/आवंटी द्वारा निर्धारित तिथि तक नहीं सौंपा जाता है, तब एसी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद दिनों की संख्या को अनाधिकृत कब्जा माना जायेगा, जिसमें प्रतिदिन 100 रू0 दण्डात्मक रूप में निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु संवेदक/संचालक उतरदायी होगी। दंडात्मक किराये की गणना पार्लर के अनाधिकृत कब्जे के दिनों की संख्या के आधार पर की जायेगी।

6.8 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी मशीनरी, उपकरण, ब्रांडिग सामग्री और फिटिंग आदि के साथ पार्लर को दो प्रतियों में हैंडओवर और टेकओवर के माध्यम से संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड या चयनित नयी पार्टी को सौंप दिया जायेगा, जिसपर संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के प्रतिनिधि एवं पट्टेदार द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

6.9 आवंटन समाप्ति की दशा में सभी आवंटी/संचालक के परिवर्तन के समय मौजुदा आवंटी/संचालक को सभी बकाया राशि का निपटान एवं पार्लर में स्थित सभी स्टॉक का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड द्वारा पार्लर में लगाये/दिये सभी सम्पतियों का निरिक्षण संबंधित संघ/इकाई/कॉम्फेड के अधिकृत संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि व कमी पाये जाने पर पुराने आवंटी/संचालक से उसकी क्षतिपुर्ति जमा की गयी सुरक्षा राशि से कटौती की जायेगी।

प्रबन्ध निदशक